न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 19/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 11.03.2022
अन्तर्गत धारा : 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. राजूलाल आत्मज सुल्तान जाति मीणा निवासी ग्राम गोवल्या तहसील नैनवां, जिला बून्दी
2. महावीर आत्मज सुल्तान जाति मीणा निवासी ग्राम गोवल्या, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

...अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार नैनवा, जिला बून्दी

...रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित : श्री नवेद केसर –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 15.04.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी के प्रकरण संख्या 104/प्रा./2002 बउनवान सरकार बनाम राजूलाल, महावीर आत्मज सुल्तान मीणा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2003 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, नैनवां के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 पेश किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति, नैनवां द्वारा आदेश दिनांक 16.06.1966 से ग्राम सुवासड़ा में भूमि खसरा सं0 622 रकबा 10.00 बीघा भूमि राजूलाल, महावीर आत्मज सुल्तान को आवंटित की गई थी, किंतु प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र में आवंटी की उम्र का अंकन नहीं किया गया है तथा आवंटी के पिता के पास पहले से भूमि है तथा आवंटित भूमि अन्य के कब्जे में है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के परिवार के पास पहले से भूमि होने तथा संयुक्त परिवार में रहने से पूर्व में उपलब्ध भूमि तथा आवंटित भूमि को जोड़े जाने पर भूमि 25 बीघा

संभागीय आ...
कोटा संभाग, कोटा

से अधिक होने पर आवंटन 25 बीघा तक ही किया जाना संभव होने की स्थिति में भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1999 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 11.06.2003 पारित किया गया।

2 अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी के प्रकरण संख्या 104/प्रा./2002 बउनवान सरकार बनाम राजूलाल, महावीर आत्मज सुल्तान मीणा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2003 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई। प्रस्तुत अपील का संक्षित सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी का निर्णय दिनांक 11.06.2003 कानूनी तथ्यों एवं विधि विधान के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण को नियमानुसार भूमि आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया था। कानूनन भूमिहीन कृषक को राजस्थान में कहीं भी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण के खाते में आवंटित भूमि के अलावा और भूमि है, जबकि उक्त भूमि अपीलार्थीगण के खाते नहीं है तथा अपीलार्थी/आवंटी के पिता का देहांत हो चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में सभी का हिस्सा निहित है, इसलिए अपीलार्थीगण भूमिहीन की परिभाषा में आता है। अपीलार्थीगण को जो भूमि आवंटित की गई थी, वह कुल 10 बीघा है तथा अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया था। इसके उपरांत तहसीलदार, नैनवां के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण को किया गया आवंटन गैरकानूनी रूप से निरस्त किया गया है। अपीलार्थीगण को आवंटित की गई भूमि के निरस्तीकरण किये जाने के निर्णय दिनांक 11.06.2003 की जानकारी सर्वप्रथम सितम्बर 2021 में हल्का पटवारी से हुई तथा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त पारित निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। सर्वप्रथम जानकारी होने के उपरांत नकल निर्णय दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त होने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण को नियमानुसार भूमि आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया था, कानूनन भूमिहीन कृषक को राजस्थान में कहीं भी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय

के द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण के खाते में आवंटित भूमि के अलावा और भूमि है, जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के खाते नहीं है तथा अपीलार्थी/आवंटी के पिता का देहांत हो चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में सभी का हिस्सा निहित है, इसलिए अपीलार्थीगण भूमिहीन की परिभाषा में आता है। अपीलार्थीगण को जो भूमि आवंटित की गई थी, वह कुल 10 बीघा है तथा अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया था। इसके उपरांत तहसीलदार, नैनवां के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण को किया गया आवंटन गैरकानूनी रूप से निरस्त किया गया है। अतः सर्वप्रथम जानकारी होने के उपरांत नकल निर्णय दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटी/अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में नियमित तारीख पेशीयों पर उपस्थित रहे है। इस प्रकार अपीलार्थी को शुरूआत से ही जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2003 के विरूद्ध अपील पेश करने में हुए 18 वर्ष के विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमायी जावे।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर मियाद के बिंदु पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, नैनवां के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 पेश किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति, नैनवां द्वारा आदेश दिनांक 16.06.1966 से ग्राम सुवासड़ा में भूमि खसरा सं0 622 रकबा 10.00 बीघा भूमि आवंटी राजूलाल, महावरी आत्मज सुल्तान को आवंटित की गई थी, किंतु प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र में आवंटी की उम्र की अंकन नहीं किया गया है तथा आवंटी के पिता के पास पहले से भूमि है तथा आवंटित भूमि अन्य के कब्जे में है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के परिवार के पास पहले से भूमि होने तथा संयुक्त परिवार में रहने से पूर्व में उपलब्ध भूमि तथा आवंटित भूमि को जोड़े जाने पर भूमि 25 बीघा से अधिक होने पर आवंटन 25 बीघा तक ही किया जाना संभव होने की स्थिति में भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1999 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 11.06.2003 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण

में अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में कारण अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण को आवंटित की गई भूमि के निरस्तीकरण किये जाने के निर्णय दिनांक 11.06.2003 की जानकारी सर्वप्रथम सितम्बर 2021 में हल्का पटवारी से हुई तथा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त पारित निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। सर्वप्रथम जानकारी होने के उपरांत नकल निर्णय दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त होने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 18 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा–5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का उचित एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमित तारीख पेशीयों पर अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में 18 वर्षों के विलम्ब तक प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कारण संतोषप्रद प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर पोषणीय नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा